

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून, 2014, 07.08.2016 एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.7(34) शिक्षा-2/2019 दिनांक 10.05.2019 एवं क्रमांक प.7(35) शिक्षा-2/2019 दिनांक 13.05.2019 की अनुपालना में निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षा काल की अवधि में (90 दिवस के अतिरिक्त) उनके सामने अंकित अवधि में उपभोग किये गये अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्या. एवं पदस्थापन स्थान(राउमावि)सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	अवकाश का प्रकार	अवकाश की अवधि	अवकाश दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	दिनती सिंह व्या. अंग्रेजी, शहीद अमित भारद्वाज राउमावि माणक चौक, जयपुर	असाधारण अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	दिनांक 21.07.16 से 22.07.16 दिनांक 26.07.16 से 26.08.16	02 दिवस 32 दिवस कुल 34 दिवस
2	रश्मि बानिया, व्या. अंग्रेजी, स्वामी विवेकानन्द रा. मॉडल स्कूल बड़ली, जोधपुर	असाधारण अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	दिनांक 17.02.16 से 21.02.16 दिनांक 01.07.16 से 27.07.16 दिनांक 07.08.16 से 12.08.16 दिनांक 10.01.17 से 24.01.17 दिनांक 06.02.17 से 07.02.17 दिनांक 14.02.17 से 15.02.17 दिनांक 21.02.17 दिनांक 27.02.17 दिनांक 24.03.17 से 31.03.17	05 दिवस 27 दिवस 06 दिवस 15 दिवस 02 दिवस 02 दिवस 01 दिवस 01 दिवस 08 दिवस कुल 67 दिवस

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/परि.-अवकाश/2019

दिनांक:- 27-5-2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-1/II) /मुख्यालय
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक,
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर